AIBDPA

आल इन्डिया बी एस एन एल एण्ड डी ओ टी पेन्शनर्स एसोसिएशन

मध्य प्रदेश परिमंडल, भोपाल

जबलपुर दिनांक 30.06.2010

पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन का मुद्दा

01.01.2007 के पूर्व बी एस एन एल से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों के द्वारा पेंशन रिवीजन के विषय में लगातार पूंछ–तांछ की जा रही है। कुछ साथी आज भी 50% मंहगाई भत्ता की राशि के मर्जर का प्रश्न उठाते हैं।

सबसे पहिले यह बात समझ ली जावे कि मान लीजिये सरकार मंहगाई भत्ते की 50% राशि को पेंशन में मर्ज कर देती है तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मर्ज किए गए मंहगाई भत्ते का एक कालम अलग से बन जावेगा किन्तु इससे पेंशन जो मिल रही है उसमें एक रूपये की भी वृद्धि नहीं होगी। पेंशन की राशि तो तभी बढ़ेगी जब पेंशन रिवाइज की जावेगी। किन्तु पेंशन रिवाइज करने के आदेश अभी तक नहीं हुए हैं।

पेंशन रिवीजन का मुद्दा अब सही दिशा में आगे बढ़ गया है

पेंशन रिवीजन का मुद्दा अब सही दिशा में आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई है। सबसे पहिली बात तो यह है कि बी एस एन एल बनते समय पेंशन नियम 37 को संशोधित कर 37(अ) जोड़ा गया था, उसमें पेंशन रिवाइज करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। किन्तु अब नियम 37(अ) में पुनः संशोधन करके पेंशन रिवीजन की व्यवस्था कर दी गई है।

विषयांतर्गत, अंतिम निर्णय देश का केबिनेट करेगा। केबिनेट के विचारणीय प्रकरण जाने तक की अनेक वेधानिक औपचारिकताएं पूरी करना होती है जिनका विस्तृत विवरण हम यहां प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। परन्तु हम इतनी जानकारी देना पर्याप्त समझते हैं कि संचार मंत्रालय के स्तर से केबिनेट तक प्रकरण को पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। यूनियनें तथा पेंशनर्स एसोसिएशन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यद्यपि संचार मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 3 माह के अंतराल में प्रकरण केबिनेट को प्रेषित किया जा सकेगा।

हमारा आंकलन है कि अक्टूबर तक पेंशन रिवीजन के आदेश हो जाना चाहिये। फिर भी आंकलन आंकलन की होता है। इसलिए यदि अक्टूबर तक पेंशन रिवाइज नहीं होगी तो पेंशनर्स एसोसिएशन संसद का घेराव करने का निर्णय कर सकता है।

शुभ कामनाओं के साथ

एस.आर.नायक
संयोजक